

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा वन मंडल पश्चिम छिन्दवाड़ा के रकबा 57.618 हेक्टेयर वनभूमि में धाऊनार्थ कोल ब्लॉक भूमिगत कोयला उत्खनन हेतु ऑनलाईन प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित वन क्षेत्र किसी संरक्षित क्षेत्र का भाग नहीं है। परन्तु यह क्षेत्र सतपुड़ा-पेंच कॉरीडोर में आता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, म.प्र. द्वारा प्रकरण में दिये गये अभिमत दिनांक 12.04.2021 से सहमत होते हुये वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को वन मण्डल पश्चिम छिन्दवाड़ा के रकबा 57.618 हेक्टेयर वनभूमि में भूमि कोयला उत्खनन की अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

दिनांक: ५.01.2023

स्थान: भोपाल


(अशोक कुमार)

अपर सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)